



"कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- cbsadiv648@gmail.com, dfo-chaibasa@gov.in



पत्रांक : 663

दिनांक : 03/04/2023

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय:-

Diversion of Forest land of up-gradation of package-1 (Existing KM 0+000 to 45+000 & Design Km 0+000 to 42+250) Hatgamahria Jagnathpur-Baraiburu-Saddle-Manoharpur-Anandpur-Bano-Kolebira Road (New NH-320G) in the State of Jharkhand to 2/4 lane with paved shoulder configuration.

प्रसंग:-

आपका पत्र संख्या 19(W.E) दिनांक 10.01.2023

महाशय,

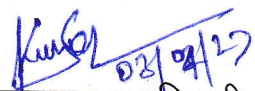
उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समर्पित प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियों का निराकरण आवश्यक है।

1. अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत Authenticated Land schedule समर्पित किया जाय।
2. आपके द्वारा समर्पित Village wise break up of Forest Land and Non-Forest Land की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत मौजा महुदी के Forest Land की गणना नहीं की गई है। मौजा बालीजोर एवं बड़ाजामदा में Forest Land /Non-Forest Land के Area Calculation की भी पुनः समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाय।
3. Hand Book of FC Act, 1980 के Chapter- 4 के बिन्दु संख्या 4.4.3 "CA is applicable for all such proposals involving area up to 40 ha except for proposals up to 5 ha with less than 50 tree per ha. (For areas up to 5 ha with less than 50 trees the provisions of planting as detailed in Section 3 of Chapter 2 shall be applicable)". की वैधता दिनांक 31.12.2020 तक है। अतः क्षतिपूरक वनरोपण का प्रस्ताव, KML इत्यादि समर्पित किया जाय।

अतः आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ आवश्यक संशोधन हेतु लौटाते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित कण्डिकाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 8 प्रतियों में अविलंब समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु०:-प्रस्ताव की मूल 8 प्रति।

विश्वासभाजन


वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।